महिला उद्यमिता (भारतीय सन्दर्भ में)

श्रीमती अनुपम गुप्ता

असिस्टेन्ट प्रोफेसर समाज शास्त्र विभाग

मुन्नालाल जयनारायण खेमका गर्ल्स डिग्री कालेज, सहारनपुर

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 30 अप्रैल 1930 को समाज में महिलाओं को समान अधिकार एवं प्रस्थिति प्रदान करने के सन्दर्भ में यह वक्तव्य दिया था – "महिलाओं को अबला कहने वाले लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, यह पुरुषों का महिलाओं के प्रति अन्याय है। यदि शक्ति का तात्पर्य पाशविक शक्तियों से हैं, तो निश्चित ही महिलायें पुरुषों से कम पाशविक हैं, किन्तु यदि शक्ति का अभिप्राय नैतिक ताकत से है तो महिलायें पुरुषों से बहुत अधिक श्रेष्ठ हैं, वे अधिक अन्तर्ज्ञान की क्षमता रखती हैं, उनमें त्याग की भावना पुरुषों से अधिक होती है, वे पुरुषों से अधिक साहसी होती हैं। उनमें पुरुषों की अपेक्षा सहनशीलता भी अधिक होती है। इनके बिना पुरुष कुछ भी नहीं कर सकता है। यदि हमारे भविष्य का नियम अहिंसा रहा तो हमारा भविष्य केवल महिलाओं के हाथ में ही है।"

सदियों से महिलाएं आर्थिक प्रवृत्ति में किसी न किसी रूप में अपना योगदान देती रही हैं। शिकारी अवस्था (आखेट युग) में यदि महिलायें शिकार करने नहीं जा सकती थीं तो घर में अनेक आर्थिक धन्धे जैसे – बांस की चीजें बनाना, अनाज साफ करना इत्यादि कार्य महिलाएं किया करती थीं। पशुपालन युग में पशु की देखभाल, सेवा–टहल, दूध से अनेक वस्तुएं बनाना, कपड़ा बुनना इत्यादि कार्यों में महिलाएं जुटी रहती थीं। कृषि युग में भी महिलाएं पुरुषों को कृषि कार्यों में सहायता पहुंचाती आई हैं जैसे – घर में कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, टोकरियां बनाना या फिर कूटना–पीसना आदि। इस तरह विभिन्न प्रकार से महिलाएं आर्थिक क्षेत्र में अपना योगदान देती रही है।

औद्योगिक क्रान्ति के प्रभाव से महिलाओं को घर से बाहर काम के अधिक अवसर मिलने लगे, मालिकों को महिला–श्रम सस्ते दर पर उपलब्ध होने के कारण महिला–मजदूरों की मांग बढ़ती गई और उन्नीसवीं सदी की समाप्ति के बाद सब देशों में श्रमजीवी वर्ग में महिलाओं के स्थान का महत्व बढ़ता गया। अमेरिका में 33 प्रतिशत, जर्मन में 36 प्रतिशत, पोलैण्ड में 44.8 प्रतिशत, रूस में 45 प्रतिशत और भारत में 27 प्रतिशत महिलाएं किसी न किसी रूप में कार्यरत हैं।

आर्थिक विकास के साथ–साथ महिलाओं की व्यावसायिक गतिविधियां भी बढ़ती गईं। शिक्षा प्रचार के कारण प्रशिक्षणयुक्त व्यवसायों में महिलाओं की प्रवेश संख्या उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। 1920 के बाद तो व्यावसायिक क्षेत्र में महिलायें अपना स्थान बनाने लगीं। दूसरे विश्वयुद्ध के कारण जीवन–निर्वाह का खर्च बढ़ने लगा और केवल एक ही व्यक्ति की आय से परिवार का भरण–पोषण असम्भव सा होने लगा तब मध्यवर्गीय महिला श्रम बाजार में आई। वह घर के कामकाज के अलावा खेतों में बुआई, रोपाई, निराई, कटाई और खाद डालने जैसे काम करती रही हैं। सीमान्त व भूमिहीन किसान परिवारों में पुरुषों के साथ स्त्रियां भी अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं।

भारत में महिला उद्यमिता

भारत में बहुत छोटा भाग ही महिला उद्यमिता के रूप में उभर कर सामने आया है। बड़ी संख्या में खेतिहर मजदूरों के रूप में कार्य करने के अलावा काफी स्त्रियां घरेलू उद्योगों, भवन निर्माण तथा बागानों में कार्यरत हैं। वे अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। उनके कार्यक्षेत्र को हम निम्न क्षेत्रों में देख सकते हैं –

(क) **अनाज उत्पादन –** भारत की महिलाएं खाद्यान्न के उत्पादन में प्रत्येक किसी न किसी चरण में सम्मिलित रहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को संतुलित आहार उचित मूल्य पर मिलता रहे तथा प्रत्येक परिवार को खाद्य सुरक्षा मिले इसमें महिलाओं का उल्लेखनीय योगदान है। महिलाएं बुवाई से पूर्व की तमाम गतिविधियों, जैसे – बीज का चुनाव, बीजोपचार, पौध के लिए खेत तैयार करना, पौधों की रोपाई आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फसल की बुवाई के बाद के कार्यों, जैसे – गुड़ाई और निराई, फसलों को हानि पहुंचाने वाले पशु–पक्षियों से बचाने, कीटनाशक दवाइयां छिड़कने वाले उपकरणों में दवा भरने आदि में भी महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इन कार्यों के अतिरिक्त फसल की कटाई और उसके बाद के कृषि सम्बन्धी कार्यों जैसे – फसल से अनाज को अलग करना, मूंगफली व आलू की खुदाई, चाय की पत्ती व सब्जियों को तोड़ने, अनाज के भण्डारण और प्रसंस्करण आदि कार्यों में भी महिलाओं की महत्वपूर्ण सहभागिता होती है।

(ख) **पशु पालन व डेयरी –** भारत के मानव संसाधनों में से महिलाएं एक ऐसा वर्ग हैं, जो पशु पालन से संबंधित कार्यों, जैसे – दूध दुहना, चारा काटना, पशुओं के रहने के स्थान की सफाई करना, उपले बनाना आदि महत्वपूर्ण कार्य करती हैं।

(ग) **मुर्गीपालन –** समस्त कृषि कार्यों में मुर्गीपालन सबसे अधिक लाभ का व्यवसाय है। इसमें प्रति इकाई जमीन से अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त खेती की भांति मुर्गीपालन वर्षा या सिंचाई पर निर्भर नहीं है। इस व्यवसाय में बंजर भूमि का भी उपयोग किया जा सकता है। भारत की महिलाएं मुर्गियों को दाना–पानी देने, अण्डे इकट्ठे करने, तथा उन्हें बेचने का कार्य अच्छी तरह से करती हैं।

(घ) **मछली पालन –** ग्रामीण महिलाओं के लिए मछली पालन के व्यवसाय से अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के पर्याप्त अवसर हैं। इस व्यवसाय को परम्परागत व्यवसायों के साथ–साथ किया जा सकता है।

(ङ) **खाद्य प्रसंस्करण –** इस श्रृंखला में महिलाओं की भूमिका फसल उगाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे खाद्य–प्रसंस्करण, खाद्य संरक्षण और भण्डारण के कार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

(च) **रेशम उत्पादन –** रेशम उत्पादन का कार्य कृषि पर आधारित एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उभर रहा है, जिसमें आर्थिक लाभ की विपुल संभावनायें हैं। इससे जहां वानिकीकरण को प्रोत्साहन दिया जा सकता है, वहीं कृषक महिलाओं के लिये आय के अच्छे अवसर जुटाए जा सकते हैं। भारत के रेशम उद्योग में लगी कुल श्रम शक्ति में से 51 प्रतिशत की भागीदारी महिलाओं की है।

(छ) **वानिकी –** भारत की नहीं, विश्व के समस्त विकासशील देशों में महिलाएं वानिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वानिकी के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान घर के लिए ईंधन और चारा इकट्ठा करने तक ही सीमित नहीं है, अपितु वे वनों पर आधारित

उद्योगों, वृक्षारोपण की संस्थाओं, पेड़ों की कटाई एवं लकड़ी की प्रोसेसिंग से संबंधित संगठनों में भी बहुत बड़ी संख्या में काम कर रही हैं।

(ज) **जैव–विविधता का संरक्षण –** जैव–विविधता का संरक्षण एक ऐसी अवधारणा है, जो जमीन और मनुष्य के बीच तालमेल की स्थिति को प्रदर्शित करती है। भारत में ग्रामीण महिलाएं भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यहां की महिलाएं फसलों की विभिन्न किस्मों और उनके विकास की गहरी जानकारी होने के कारण बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार फसल सुरक्षा, कार्बनिक खाद बनाने, अनुवांशिक प्रतिरोध तथा प्रजातीय विविधता के संरक्षण में आशातीत योगदान करती हैं।

(झ) **अन्य सहायक कार्य –** पिछले दिनों मशरूम की खेती शिक्षित महिलाओं में काफी लोकप्रिय हुई है। इसके अतिरिक्त वे घरेलू उपयोग के अचार–मुरब्बे बनाती हैं। मधुमक्खी पालन को भी महिलाएं में एक व्यवसाय के रूप में अपना सकती हैं।

भारत में महिला उद्यमिता का क्षेत्र प्रमुखतः कुटीर उद्योग –

भारत में महिला उद्यमिता का क्षेत्र प्रमुखतः कुटीर उद्योग ही रहा है। यहां तो वे परम्परागत रूप से अचार, पापड़, मसाले आदि बनाने से सम्बन्धित रही हैं। परन्तु आजकल कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में महिला उद्यमियों की संख्या निरन्तर तेजी से बढ़ती जा रही है, अब तो सरकारी, गैर–सरकारी प्रयत्नों के परिणामस्वरूप स्त्रियां इलैक्ट्रानिक उपकरणों, इंजीनियरिंग के सामान तथा ऊर्जा के क्षेत्र में भी उद्योगों को स्थापित करने में सफल हुई हैं। अब तो स्त्रियां उद्यमियों के रूप में ढ़लाई के कारखाने भी चलाने लगी हैं। टेलीविजन बनाने लगी हैं तथा सोलर कुकर के निर्माण में भी सफल हुई हैं।

भारत में उद्यमिता के विकास के प्रश्न पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में स्त्रियों की सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्हें शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से तथा सुगम ऋण, कच्चे माल की सप्लाई, माल के विपणन की तथा अन्य सुविधायें देकर उनकी क्षमता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कार्य में केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल अग्रणी रहा है। यह स्वयंसेवी संगठनों को स्त्रियों के लिए आय उपार्जन हेतु इकाई स्थापित करने में तकनीकी और आर्थिक सहायता देता है। महिला और बाल विकास विभाग स्त्रियों को खेती, डेयरी, पशुपालन, मछली पालन, खादी और ग्रामोद्योग, हथकरघा, रेशम प्रयोग के लिये प्रशिक्षण देने की कार्य योजनाओं, ऋण विपणन तथा तकनीकी सुविधा देकर उनकी सहायता करता है। विभाग की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत कमजोर वर्ग की महिलाओं को इलैक्ट्रानिक घड़ियां तैयार करना, कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, छपाई और जिल्दसाजी, हथकरघा, बुनाई जैसे आधुनिक उद्योग में प्रशिक्षण दिया जाता है।

वर्तमान में महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली औद्योगिक इकाईयों की संख्या 5,000 से भी अधिक है। इनमें से 800 से अधिक इकाईयों का संचालन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। आज तो महिला उद्यमिता का क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया है। महिला उद्यमिता द्वारा चलाये जाने वाले प्रमुख उद्योगों में इलैक्ट्रानिक उपकरण, रबड़ की वस्तुएं, सिले हुए वस्त्र, माचिस, मोमबत्ती तथा रासायनिक पदार्थ, घरेलू उपकरण आदि।

महिलाओं को उद्योग लगाने की दृष्टि से प्रोत्साहित करने हेतु सरकार वित्तीय सहायता और अनुदान तो देती ही है, साथ ही इन उद्योगों में निर्मित वस्तुओं की बिक्री में भी सहायता करती है।

उद्यमिता से सम्बन्धित प्रशिक्षण के उद्देश्य से 1983 में राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई। इस संस्थान द्वारा महिला उद्यमियों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। महिला उद्यमियों को विभिन्न राज्यों में प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय निगम, जिला उद्योग केन्द्र एवं हस्तकरघा विकास बोर्ड भी स्थापित किये गये हैं। साधारणतः देखा गया है कि महिलाओं द्वारा संचालित उद्योगों में श्रमिक एवं मालिकों के बीच सम्बन्ध अपेक्षाकृत अधिक मधुर हैं तथा उत्पादित वस्तुएं तुलनात्मक दृष्टि से अधिक अच्छी हैं, इससे स्पष्ट है कि भारत में महिला उद्यमिता सफल होती जा रही है।

वर्तमान समय में सामाजिक दृष्टिकोण से महिला उद्यमिता का महत्व –

1. इस देश में 25 वर्ष से 40 वर्ष की आयु समूह में आने वाली स्त्रियों की संख्या 20 करोड़ से अधिक है। इनमें से यदि 5 करोड़ स्त्रियों में उद्यमिता के प्रति रूचि उत्पन्न की जा सके तो देश के कुल उत्पादन में काफी वृद्धि होगी।
2. उद्योगों के क्षेत्र में स्त्रियों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किये जाने पर उनमें आत्मविश्वास जागृत होगा तथा वे स्वतन्त्र रूप से निर्णय ले सकेंगी।
3. यदि महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया गया तो स्त्रियां पारिवारिक क्षेत्र में उचित नेतृत्व प्रदान कर सकेंगी।

देश की सामाजिक, आर्थिक प्रगति की दृष्टि से सरकार द्वारा समय–समय पर अनेक विकास कार्यक्रम चलाये गये परन्तु स्त्रियों की सहभागिता के अभाव में वे काफी असफल रहे। उन्हें सफल बनाने हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन देकर निश्चित ही उन विकास कार्यक्रमों को स्वीकार करने की दृष्टि से अनुकूल परिस्थितियां निर्मित हो सकेंगी।

महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु कुछ सुझाव –

1. भारतीय समाज के समुचित विकास हेतु महानगरों एवं बड़े शहरों के आसपास भीतरी इलाकों के बीच प्रभावी सम्पर्क को बढ़ाया जाये। नगरों में खाद्य संसाधन, डिब्बाबन्द ढुलाई भण्डारण के कार्यों को आसपास की महिलाओं द्वारा किया जा सकता है, इससे लघु उद्योगों का विस्तार एवं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
2. सरकार द्वारा ऐसे उद्योगों की सूची तैयार की जाये जिनके लाईसेन्स केवल महिलाओं को ही दिये जायें। ऐसा होने पर महिलाएं बाजार की प्रतिस्पर्धा से बच सकेंगी।
3. महिलाएं जिन उद्योगों को स्थापित करना चाहें, उनके सम्बन्ध में उन्हें पूरी औद्योगिक जानकारी, मशीनरी एवं उपकरणों से परिचित कराया जाये एवं आय प्रदान करने वाले व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाये।
4. महिलाओं को उद्योगों के प्रबन्ध एवं संगठन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

5. महिला औद्योगिक सहकारी समितियों का गठन किया जाये ताकि कम पूंजी में महिलाओं द्वारा उद्योगों की स्थापना की जा सके।

6. महिला उद्यमियों को सरकारी एजेन्सी द्वारा आसान शर्तों पर कच्चा माल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

7. इस बात का ध्यान रखा जाये कि महिला उद्यमियों द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित की जायें, वे अच्छी किस्म की हों ताकि प्रतिस्पर्धा में टिक सकें।

8. महिला उद्यमियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को सरकार द्वारा उचित मूल्य पर खरीदा जाये ताकि उन्हें तीव्र प्रतिस्पर्धा का भी सामना न करना पड़े।

सन्दर्भ सूची

1. लिंग एवं समाज – प्रकाश नारायण नाटाणी एवं ज्योति गौतम
2. Women's International Democratic Federation IVth Congress.
3. Women Works of India (p. 245)
4. भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र, डा0 एम0एम0 लवानिया।